# न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

## विविध बैंक प्रकरण संख्या 15/2023(GCMS : 2023/20)

आवास फाईनेंसर्स लि., पंजीकृत कार्यालय 201–202 द्वितीय तल, साउथ एण्ड सकेव्यर, मानसरोवर इण्डस्ट्रियल ऐरिया, जयपुरव स्थानीय शाखा कार्यालय शॉप नं. 1 व 2, द्वितीय तल, शक्ति मार्ग, राजस्थान पत्रिका कार्यालय के पास, सूरतगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी प्रेम सुलोरा

**बनाम**

1. **डूंगर राम** पुत्र श्री गोमाराम, निवासी वार्ड नं. 08, 9–एफ.डी.एम., सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान –335705 द्वितीय पता पट्टा नं. 44, चक 9–एफ.डी.एम. पंचायत फरीदसर, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. **श्रीमती सुन्दर देवी** पत्नी श्री डूंगर राम निवासी वार्ड नं. 08 9–एफ.डी.एफ. सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान–335705

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**23.08.2023**

**पत्रावली पेश हुई।** प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री जितेन्द्र पराशर ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 27.01.2023 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण डूंगर राम एवं सुन्दर देवी को ऋण सुविधा के रूप में राशि 9.70/– लाख रूपये (अखरे रूपये नौ लाख सत्तर हजार मात्र) का ऋण दिनांक 13.01.2022 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी डूंगर राम द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 44(क्षेत्रफल 2400 स्केयर फीट) चक 9 एफडीएम, पंचायत फरीदसर, तहसील सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

**मैने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को** पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण डूंगरराम एवं सुन्दर देवी को 9.70/–लाख रूपये** के ऋण सुविधा की स्वीकृति दिनांक 13.01.2022 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी डूंगरराम ने अपनी अचल सम्पति पट्टा नं. 44(क्षेत्रफल 2400 स्केयर फीट) चक 9 एफडीएम, पंचायत फरीदसर, तहसील सूरतगढ़,श्रीगंगानगर, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.01 17:01:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 03.10.2022 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा **13(2) के नोटिस दिनांक 08.10.2022** को जारी कर दिनांक 11.10.2022 को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है। धारा 13(2) नोटिस अप्रार्थीगण को भिजवाने की पोस्ट ऑफिस रसीद एवं ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, **जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।**

**वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।**

**जहां तक ऋण की एवज** में बंधक रखी गई अप्रार्थी डूंगरराम की **अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 44(क्षेत्रफल 2400 स्केयर फीट) चक 9 एफडीएम, पंचायत फरीदसर, तहसील सूरतगढ़, श्रीगंगानगर,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

**जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी** नोटिस 08.10.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक [illegible].2022 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस [illegible] दिनांक **11.10.2022 को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया है,** [illegible] **अप्रार्थीगण के धारा 13(2) नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है।** जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshu Deep Ralh
Date: 2023.09.01 17:01:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अप्रार्थी ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी डूंगरराम के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

**अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी डूंगरराम **द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 44(क्षेत्रफल 2400 स्केयर फीट) चक 9 एफडीएम, पंचायत फरीदसर, तहसील सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 23.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Palh
Date: 2023.09.01 17:01:58 IST
Reason: SelfAttested

(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर